संख्या-351/2024/3585/22-2-2022-17(1481)/2022

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 06 दिसम्बर, 2024

विषय:- जिला कारागार गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नन्दलाल पुत्र श्री चोब सिंह, निवासी जनपद-अलीगढ़ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34619/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-14.09.2022) दिनांक-02.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नन्दलाल पुत्र श्री चोब सिंह, हरनोट भोजपुर, थाना-पालीमुकीमपुर, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। दोनों पक्षों के मध्य जमीन के विवाद को लेकर चल रही मुकदमेबाजी की रंजिश में दिनांक 21.08.2004 को बंदी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विष्णु नामक व्यक्ति का अपहरण कर फावड़े से एक हाथ एवं सर को धड़ से अलग कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-174/2005 में भा0द0वि0 की धारा-364, 147, 148, 302/149, 201 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश-5, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 28-02-2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 23-12-2021 तक 14 वर्ष, 00 माह, 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 00 माह, 20 दिन की सपरिहार भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 14.06.2022 में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य प्रकृति का होने बन्दी के स्वास्थ्य की स्थिति के दृष्टिगत रिहा होने पर अपराध में पुनः संलिप्त होने की सम्भावना होने, बन्दी की समयपूर्व रिहाई से समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने जमीन के विवाद को लेकर चल रही मुकदमेबाजी की रंजिश में दिनांक 21.08.2004 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विष्णु नामक व्यक्ति का अपहरण कर फावड़े से एक हाथ एवं सर को धड़ से अलग कर हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नन्दलाल पुत्र चौबे सिंह को फार्म-ए /लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नन्दलाल (बंदी संख्या-242/2018) पुत्र श्री चोब सिंह, निवासी जनपद-अलीगढ़ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-351/2024/3585(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।

2- अधीक्षक, जिला कारागार गौतमबुद्धनगर ।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

विनोद कुमार द्विवेदी

उप सचिव।

अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-351/2024/3585/22-2-2022-17(1481)/2022

दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नन्दलाल पुत्र श्री चोब सिंह, हरनोट भोजपुर, थाना-पालीमुकीमपुर, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। दोनों पक्षों के मध्य जमीन के विवाद को लेकर चल रही मुकदमेबाजी की रंजिश में दिनांक 21.08.2004 को बंदी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विष्णु नामक व्यक्ति का अपहरण कर फावड़े से एक हाथ एवं सर को धड़ से अलग कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-174/2005 में भा0द0वि0 की धारा-364, 147, 148, 302/149, 201 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश-5, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 28-02-2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 23-12-2021 तक 14 वर्ष, 00 माह, 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 00 माह, 20 दिन की सपरिहार भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 14.06.2022 में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य प्रकृति का होने बन्दी के स्वास्थ्य की स्थिति के दृष्टिगत रिहा होने पर अपराध में पुनः संलिप्त होने की सम्भावना होने, बन्दी की समयपूर्व रिहाई से समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने जमीन के विवाद को लेकर चल रही मुकदमेबाजी की रंजिश में दिनांक 21.08.2004 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विष्णु नामक व्यक्ति का अपहरण कर फावड़े से एक हाथ एवं सर को धड़ से अलग कर हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नन्दलाल पुत्र चौबे सिंह को फार्म-ए /लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।